प्रेस नोट दिनांकं 14.10.2020

इटावा पुलिस द्वारा चोरी/लूट की घटना करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों को चोरी किए हुए आभूषण एवं अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी/लूट की घटना करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों को चोरी किए हुए आभूषण एवं अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2020 को थाना कोतवाली पर वादिया रजनी सैनी पत्नी शरद सैनी निवासी मौहल्ला घटिया अजमत अली द्वारा सूचना दी गयी कि उसके घर से दिनांक 04.10.2020 को जव वह अपने मायके परिवार सहित गयी हुयी थी तभी रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर का ताला तोड कर कीमती जेवरात व 7000 रुपये चोरी कर लिए गये है वादिया की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 543/2020 धारा 380,457 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण एवं चोरो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली से पुलिस टीम का गठन किया गया था इसी क्रंम में पुलिस टीम द्वारा बलदेव चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0स0 543 से संबंधित अभियुक्त ब्राउन गंज चौराहे पर चोरी के सामान को बेचने के लिए किसी का इन्तजार कर रहे है। मुखविर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ब्राउन गंज की तरफ जानी वाले रोड पर इटावा सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड के गेट के पास से 05 अभियुक्तों घेर कर पकड लिया गया। जिनकी तलाशी लेने पर अभियुक्तों के कब्जे से आभूषण व अवैध असलाह बरामद किए गये। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग भिन्न –भिन्न स्थानो से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है तथा अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.10.2020 को चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया था। जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 411,120बी की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जीशान पुत्र नसीर उम्र निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली इटावा वर्ष 24
2. समीर पुत्र जमील उम्र वर्ष निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली इटावा 19
3. वारिस पुत्र बाबुद्दीन उम्र वर्ष निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली इटावा 22
4. मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद रफीक उम्र वर्ष निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली इटावा 22
5. सागर जाधव पुत्र तात्या साहेब जाधव उम्र वर्ष निवासी ग्राम बलवन थाना अटपारे जिला सांघली महाराष्ट्र हाल 21निवास अनूप डॉक्टर का मकान रामगंज थाना कोतवाली इटावा

बरामदगी

1. एक टुकड़ा पीली धातु वजन करीब 19.930 ग्राम
2. सफेद धातु की 2 पायल
3. सफेद धातु के 2 कड़े (बच्चो के)
4. दो सरिया लोहा
5. दो हजार रूपये
6. तीन अदद नाजायज छुरी

पंजीकृत अभियोगो

(1) मु0अ0स0 543/2020 धारा 411/380/457/120B आईपीसी थाना कोतवाली इटावा
(2) मु0अ0सं0 557/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली इटावा

(3) मु0अ0सं0 558/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली इटावा
(4) मु00सं0 559/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली इटावा

गिरफ्तार करने वाली टीम

(1) प्रभारी निरीक्षक श्री बचन सिंह सिरोही थाना कोतवाली इटावा
(2) उ0नि0 श्री नीरज कुमार शर्मा थाना कोतवाली इटावा
(3) उ0नि0 श्री चिन्तन कौशिक थाना कोतवाली इटावा
(4) उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना कोतवाली इटावा
(5) का0 1317 विक्रम सिंह थाना कोतवाली इटावा
(6) का0 74 दानिश मो0 थाना कोतवाली इटावा
(7) का0 1148 गवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली इटावा
(8) का0 868 मनोज कुमार थाना कोतवाली इटावा
(9) म0का0 581 ममता तिवारी थाना कोतवाली इटावा

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा